

प्रपत्र-3

**वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षण/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

1	परियोजना का नाम	पुल निर्माण		
2	आवेदक/आवेदक का विभाग का नाम	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग रायपुर (छ.ग.)		
3	गैर वनिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	जवरा-नगरी मार्ग के काजल नदी पर पुल निर्माण		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		धमतरी	धमतरी	दुगली
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	वन खंड	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
	(क) आरक्षित वन	मरधुनी जवरा सिंघौरा तुमबाहरा	317 322	0.866 0.835
	(ख) सीमांकित संरक्षित वन	—	—	—
	योग :-	—	—	1.701
		ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	आवेदित क्षेत्र हे.
	(ग) असीमांकित संरक्षित वन	—	—	—
	(घ) राजस्व वनक्षेत्र	—	—	—
	योग :-	—	—	—
		कुल योग :- 1.701		
6	आवेदित वनक्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	साल	सागौन	मिश्रित
		मिश्रित		
		साईट क्वालिटी :-		
		III		
		घनत्व		
		0.4		
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	प्रजाति — मिश्रित (संलग्न है पेज नं.....)	कुल वृक्ष की संख्या — 13	
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	—	—	—
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./ वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	वन मार्ग से लगे हुए		
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फियर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं है		
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी.	निरंक		

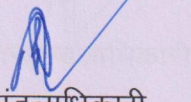
	क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या	
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं किया गया है

प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि (जवरा-नगरी मार्ग के काजल नदी पर पुल निर्माण) को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- 19-05-2020

स्थान :- धमतरी


वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल धमतरी